

ख 3.4 साइट सुरक्षा

साइट सुरक्षा के प्रयोजनों से और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह वेबसाइट सभी प्रयोक्ताओं के लिए उपलब्ध रहे, सूचना अपलोड करने अथवा परिवर्तित करने अथवा वेबसाइट को क्षतिग्रस्त करने के अप्राधिकृत प्रयासों की पहचान करने हेतु नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी के लिए राज्य सभा सचिवालय वाणिज्यिक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का प्रयोग करता है।

प्राधिकृत विधि प्रवर्तन जाँच को छोड़कर, प्रयोक्ता विशेष अथवा उनकी प्रयोग-प्रवृत्तियों की पहचान करने के लिए कोई प्रमाण नहीं किया जाता। कच्चे आँकड़ों के अभिलेख का प्रयोग किसी अन्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जाता और उनको नियमित विलोपन के लिए अनुसूचित किया जाता है।

इस वेबसाइट पर सूचना अपलोड करने अथवा उसे बदलने के अप्राधिकृत प्रयासों का कठोर निषेध है और ये भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम - (2000) के अधीन दण्डनीय है।